

3 $\frac{2}{25}$

वकील अथवा उपाय मूल १५५ ०१२५८५८ के तहत
धारित किया जा चुका है। मूल १५५ के अन्तर्गत १५५८
प्राप्य पर आपकी पोषणीय नहीं है। मूल १५५
प्राथमिक पर भी ०१२५८५८ के तहत मूल १५५
अनुसार धारित किया जाता है। पत्रावली के अन्त
द्वारा धारित न करने का ध्यान रखना है।
पत्रावली के साथ संलग्न है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)